

संख्या 1649/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 06/09/2008

प्रेषक,

जे0आर0लापड,
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

विषय- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 में मतगणना के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 क्रम में है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका निष्पक्ष हो। निर्वाचन कार्य में मतगणना का कार्य अत्यधिक सवेदंशील होता है। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की जरा सी चूक या लापरवाही अथवा जानबूझकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये गलत निर्णय से न केवल निर्वाचन की निष्पक्षता प्रभावित होती है अपितु शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से भी सवेदंशीलता बढ़ जाती है।

इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी निर्वाचन अधिकारियों /सहायक निर्वाचन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय कि मतगणना कार्य बहुत ही सावाधानी पूर्वक, निष्पक्ष ढंग से बिना किसी पक्ष से प्रभावित हुये कराये। यदि किसी भी निर्वाचन अधिकारी /सहायक निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध यह शिकायत प्रमाणित पायी जाय कि उक्त अधिकारी ने संदिग्ध निष्ठा के साथ कार्य किया है तो तत्काल उसके विरुद्ध पदीय कर्तव्य भंग के आरोप में ड्यूटी से विरत करते हुये उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

ह0.

(जे0आर0लापड)

संयुक्त सचिव।

क्रमश.....2

//2//

संख्या 1649(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/786/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त आयोग के प्रेक्षकगण, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानीय चुनावालय, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।

ह0.

(जे0आर0लापड़)

संयुक्त सचिव।